**भारत सरकार**
**संचार मंत्रालय**
**दूरसंचार विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2825**
**उत्तर देने की तारीख 17 दिसम्बर, 2025**

**राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम)**

**2825. श्री नवसकनी के.:**
**श्री सी. एन. अन्नादुरईः**
**श्री जी. सेल्वमः**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) के अंतर्गत तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाने और डिजिटल असमानता को दूर करने के लिए उपाय किए हैं;
(ख) यदि हां, तो भारतनेट के अंतर्गत तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में आरम्भ की गई ब्रॉडबैंड और ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) कनेक्टिविटी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का गति शक्ति संचार पोर्टल और दूरसंचार (मार्ग का अधिकार) नियम, 2024 को तमिलनाडु में चल रही डिजिटल अवसंरचना के विस्तार के साथ एकीकृत करने का विचार है ताकि मार्ग के अधिकार (आरओडल्यू) की सुगमतापूर्वक मंजूरी और ब्रॉडबैंड परियोजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके; और
(घ) सरकार का भारतनेट परियोजना के अंतर्गत तमिलनाडु के सभी जिलों के सभी ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए पूर्णतः तैयार करने की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**
**(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)**

**(क) और (ग)** जी, हाँ। सरकार ने तमिलनाडु राज्य सहित देश में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) के कार्यान्वयन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाने और डिजिटल असमानता को दूर करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपाय किए हैं:

i. दिनांक 14 मई, 2022 को केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) पोर्टल लॉन्च किया जो दूरसंचार अवसंरचना अर्थात् ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाने और दूरसंचार टॉवर इंस्टॉलेशन के परिनियोजन के लिए आरओडब्ल्यू अनुमतियों को सुव्यवस्थित करने की सुविधा प्रदान करता है।

ii. 'दूरसंचार अधिनियम, 2023' के तहत दूरसंचार (मार्ग का अधिकार) नियम 2024 के माध्यम से आरओडब्ल्यू अनुमतियों और लागू प्रभार प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को एक समान बनाया गया था। ये नियम 01 जनवरी, 2025 से प्रभावी हैं। ये नियम देश में दूरसंचार अवसंरचना के परिनियोजन को और सुव्यवस्थित और तीव्र कर रहे हैं। तमिलनाडु राज्य सहित मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) नियम 2024 के अनुसरण में अधिकांश राज्यों में आरओडब्ल्यू पोर्टल को और अपग्रेड किया गया है।

**(ख) और (घ)** दूरसंचार विभाग (डीओटी) ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों (जनजातीय बेल्ट सहित) में सुचारू ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर रहा है और डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के माध्यम से डिजिटल असमानता को दूर कर रहा है। इन प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

i. भारतनेट परियोजना ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों (मांग के आधार पर) को ब्रॉडबैंड प्रदान करती है।

ii. पूर्वोत्तर, द्वीप-समूहों, वामपंथी उग्रवाद (वामपंथी उग्रवाद) प्रभावित क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती गांवों जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट/ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं (4जी सहित) के लिए विभिन्न स्कीम।

iii. चेन्नई एवं अंडमान और निकोबार (2312 किलोमीटर) तथा कोच्चि और लक्षद्वीप (1869 किलोमीटर) के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई जिससे अधिक तीव्र गति वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी संभव हो सकी।

तमिलनाडु में भारतनेट परियोजना के राज्य-आधारित मॉडल के तहत 12525 ग्राम पंचायतों (जीपी) में से कुल 11,866 ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार कर दिया गया है (12 दिसंबर, 2025 तक) और सेवा उपलब्ध कराने के लिए, परिवारों को एफटीटीएच कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायतों (जीपी) और ब्लॉकों में 9,686 ऑप्टिकल लाइन टर्मिनलों (ओएलटी) को परिनियोजित किया गया है। बिछाई गई ओएफसी का जिले-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। भारतनेट परियोजना के पूरा होने की समय-सीमा मार्च 2027 है।

**अनुबंध-I**

**दिनांक 17.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2825 के उत्तर के भाग (ख) और (घ) के सन्दर्भ में उल्लिखित अनुबंध**

| **क्र. सं.** | **जिले** | **बिछाई गई कुल ओएफसी रूट किलोमीटर में** |
|---|---|---|
| 1 | चेंगलपट्टू | 1382 |
| 2 | कांचीपुरम | 1180 |
| 3 | कृष्णागिरी | 1924 |
| 4 | रानीपेट | 1224 |
| 5 | तिरुपथुर | 929 |
| 6 | तिरुवल्लुर | 1950 |
| 7 | तिरुवन्नामलाई | 3472 |
| 8 | वेल्लोर | 844 |
| 9 | अरियालूर | 867 |
| 10 | कुड्डालोर | 2484 |
| 11 | पेरम्बलुर | 683 |
| 12 | विल्लुपुरम | 2886 |
| 13 | कल्लाकुरिची | 1739 |
| 14 | सलेम | 1653 |
| 15 | इरोड | 1197 |
| 16 | नीलगिरी | 292 |
| 17 | धर्मपुरी | 1352 |
| 18 | कोयंबटूर | 1231 |
| 19 | करूर | 994 |
| 20 | मयिलाडुतुरै | 890 |
| 21 | नागपट्टनम | 734 |
| 22 | नमक्कल | 1431 |
| 23 | पुदुकोट्टई | 2235 |
| 24 | तंजावुर | 2337 |
| 25 | तिरुचिरापल्ली | 2153 |
| 26 | तिरुप्पुर | 1467 |
| 27 | तिरुवरुर | 1743 |

| **क्र. सं.** | **जिले** | **बिछाई गई कुल ओएफसी रूट किलोमीटर में** |
|---|---|---|
| 28 | डिंडीगुल | 1538 |
| 29 | कन्याकुमारी | 407 |
| 30 | मदुरै | 1498 |
| 31 | रामनाथपुरम | 1700 |
| 32 | शिवगंगई | 2021 |
| 33 | तेनकासी | 1171 |
| 34 | थेनी | 536 |
| 35 | तूतुकुड़ी | 1744 |
| 36 | तिरुनेलवेली | 1076 |
| 37 | विरुधुनगर | 1703 |
| | **कुल** | **54666** |

*****